

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

माननीय न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट, नवा रायपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु ₹ 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹4,362.1872 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 43,62,18,720 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

भवन विहीन 106 छात्रावास/आश्रमों के भवन निर्माण (नाबार्ड से ऋण सहायता प्राप्त) हेतु ₹100 के आकस्मिकता निधि से प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।